

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक.....

पटना, दिनांक.....

5/सो स्था(खा0बो0)-04/2009

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत प्रस्थापना व्यय हेतु संलग्न व्यय विवरणी परिशिष्ट-1 के अनुसार कुल ₹98,55,000.00 (अठानवें लाख पचपन हजार) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्यादेश सं0-158 दिनांक- 12.01.2015 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यरत एवं वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के प्रस्थापना व्यय हेतु संलग्न व्यय विवरणी (परिशिष्ट 1) के अनुसार कुल ₹98,55,000.00 (अठानवें लाख पचपन हजार) मात्र की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करने की कृपा की है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार बिहार, पटना को भेजा गया है और महालेखाकार द्वारा राशि का सामंजन कर दिया गया है।

- उक्त स्वीकृत राशि से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना का एवं बोर्ड के अधीन केन्द्रों में कार्यरत/सेवानिवृत्त होनेवाले कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य प्रस्थापना आदि पर होने वाले व्यय का वहन किया जाएगा।
- इस राशि का व्यय बजट शीर्ष- 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-खादी ग्रामोद्योग, मांग सं0- 23, उप शीर्ष-0001-बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता, विपत्र कोड N-2851001050001-अंतर्गत विषय शीर्ष-31 04 सहायक अनुदान - वेतन मद से ₹74,90,000.00 एवं विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा मद से ₹23,60,000.00 अर्थात् कुल ₹98,55,000.00 (अठानवें लाख पचपन हजार) विकलित होगा जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथेष्ट बजट उपबंध है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को एक मुश्त उपलब्ध करायेंगे। वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में सहायक अनुदान की स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकर बिहार, पटना द्वारा समायोजित कर लिया गया है।
5. इस राशि का अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार वित्त (अंकेक्षण) एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को होगा।
6. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध करायेंगे जिसे नियमानुसार महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जायेगा।
7. इस राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक- 8244 दिनांक- 02.08.2010 में निहित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा वित्त विभागीय पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक- 17.09.08 की कंडिका-2 का अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-08.03.2016 को मद संख्या-02 में स्वीकृति प्राप्त है।
9. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार बिहार, पटना की सहमति सं० सं०- 5/स० स्था० (खा०बो०)-04/2009 /पृ० 251./टि० दिनांक 14.03.2016 को प्राप्त है।
- 10 वित्त विभागीय पत्रांक-7355 वि० (2) दिनांक- 15.10.20017 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-----

दिनांक-

5/स० स्था० (खा०बो०) -04/2009

प्रतिलिपि:- संलग्न व्यय विवरणी के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—

दिनांक

5/स० स्था० (खा०बो०) -04/2009

प्रतिलिपि:— संलग्न व्यय विवरणी के साथ सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक—

दिनांक—

5/स० स्था० (खा०बो०) -04/2009

प्रतिलिपि:— संलग्न व्यय विवरणी के साथ मुख्य कार्यपालक पदाधिकार, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 1371

दिनांक— 17-03-16

5/स० स्था० (खा०बो०) -04/2009

प्रतिलिपि:— संलग्न व्यय विवरणी के साथ आय व्यय शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, संसूचन शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय-व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (श्रीमती पूर्ति), योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-5 (स०), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

15.3.16

परिशिष्ट-1

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के प्रस्थापना व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में सहायक अनुदान अन्तर्गत मदवार स्वीकृत राशि की अनुमानित व्यय विवरणी :-

क्रमांक	मद / विषय	राशि रूपये में
01	बोर्ड के गैर योजना में कार्यरत कर्मचारी/पदाधिकारी का वेतनादि	64,43,706.00
02	सेवान्त लाभ उपादान मद की राशि	7,09,040.00
03	अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य वेतन की राशि	3,44,913.00
04	2015-16 में बोर्ड से सेवा निवृत्त होने वाले तीन कर्मी एवं एक मृत कर्मी का बकाया वेतन की राशि।	3,22,821.00
05	यात्रा भत्ता की राशि	1,55,000.00
06	आकस्मिक मद मुकदमा सहित की राशि	15,14,520.00
07	अंकेक्षण शुल्क की राशि	1,65,000.00
08	म्युनिसिपल कर की राशि	2,00,000.00
		₹ 98,55,000.00 (अनठानवे लाख पचपन हजार)

~~14/5/2016~~
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।